बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि॰ पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:---------/ बी॰ एस॰ एम॰ एफ॰ सी॰, / पटना,दिनांक: --------

संशोधित स्वीकृत्यादेश

राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वर्ष 2017-2018 पुर्णिया जिला के चयनित ऋणार्थी के लिए पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-505 दिनांक-10.03.2021 के क्रमांक से सम्बन्धित ऋणार्थी के नाम के सामने पूर्व में समर्पित बैंक के Merged होने के कारण Ifsc Code Change हो गया जिसके कारण ऋण की राशि खाता में अंतरित नहीं हो सका । इसके बदले नया बैंक खाता में ऋण राशि RTGS/NEFT के द्वारा स्थानांतरित करने की संशोधित स्वीकृति दी जाती है।

पूर्व स्वीकृत्यादेश का क्रमांक	ऋणावेदक नाम, पिता/ पति का नाम तथा पता	पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित खाता संख्या	नया खाता संख्या	भुगतेय राशि
2/05	MOHAMMAD SAJID, S/o- MD ASLAM Vill.+PO-MAJGAMA , Block + PS-KASBA , Distt.-PURNEA-854330, MOB.-9931739448	A/c No.:- 1812010059954, UTBI0LIBQ01 UNITED BANK OF INDIA	A/c No.:- 1812010059954, PUNB0181220 PUNJAB NATIONAL BANK	395970
			कुल	395970

इस स्वीकृत्यादेश इस हद तक संशोधित समझा जाए । किन्तु स्वीकृत्यादेश संख्या-505 दिनांक 10.03.2021 में वर्णित अन्य शर्ते यथावत रहेगा ।

ह0/-
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक-------- दिनांक---------

प्रतिलिपि:-(1) मो॰ साजिद, पिता-मो॰ असलम, ग्राम+पो0:-मजगामा,थाना+,प्रखण्ड:-कसबा, जिला-पुर्णिया-854330 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक---1653--- दिनांक-12.5.2021

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय प्रभारी, पुर्णिया सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संशोधित स्वीकृत्यादेश के अनुसार अभिलेख में अंकित कर उसके साथ PDC एवं पास बुक की प्रति रक्षित करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रबन्ध निदेशक